


#1011



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ ( राजस्थान )  
 ( पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सिंहपुर )  
 द्वारा अर्न्तगत -136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 747/2025 दायर दिनांक 4/10/2025 निर्णय दिनांक 4/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क.स.	नाम ग्राम	खाता नम्बर	रिपोर्ट	शुद्ध प्रविष्टी	वर्तमान प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	राजपुरा	44	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	1. माधु पिता छीतर हिस्सा 9/20 जाति गाडरी सा.देह खातेदार सहिन हिस्सा 9/20 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक कपासन	1. माधु पिता छीतर हिस्सा 9/20 जाति गाडरी सा.देह खातेदार सहिन हिस्सा 9/20 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार हल्का केसखेडी के खाता संख्या 44 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जायें का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर <i>(Signature)</i>	हस्ताक्षर गिरदावर <i>(Signature)</i>	हस्ताक्षर मोहर <i>(Signature)</i> तहसीलदार कपासन 04.10.25 चित्तौड़गढ़ (राज.)	पदेन सहायक कलक्टर कपासन <i>(Signature)</i> सहायक कलक्टर (सी) कपासन

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर (सी)  
कपासन